वर्ष 2023 में IPC के तहत 86% अपराध सुलझे

चर्चा में क्यों?

राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) के अनुसार, **उत्तराखंड में वर्ष 2023 में** भारतीय दंड संहिता **के तहत कुल 15,797 अपराध के मामले** दर्ज किये गए हैं, जो वर्ष 2022 की तुलना में 752 कम हैं, जिसमें 16,549 मामले दर्ज किये गए थे।

नोट:

भारतीय दंड संहिता (IPC) भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है जिसे **चार्टर अधिनियम, 1833** के तहत वर्ष 1834 में स्थापित **प्रथम विधि आयोग के मद्देनज़र वर्ष 1860** में तैयार किया गया था।

मुख्य बिंदु:

- वर्ष 2023 में सभी पंजीकृत अभियोगों में त्वरित कार्यवाही करते हुए **86% से अधिक मामलों का अनावरण कर 61% से अधिक अभियुक्तों** के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।
- वर्ष 2023 में कुल **432 वांछित अपराधी** गिरफ्तार किये गए।
- राज्य पुलिस ने **गैंगस्टर एक्ट, 1986 के तहत गिरफ्तार अभियुक्तों** में से 30 अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से **अर्जित सम्पत्ति 186 करोड ज़ब्तीकरण** की कार्यवाही की गयी।
- इसके अलावा **वर्ष 2022 में गुण्डा एक्ट, 1982 के अन्तर्गत 262 अपराधियों** के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही भी की गयी।
- वर्ष 2023 में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में **कुल 1,649 लोगों** को गिरफ्तार किया गया और 27 करोड़ रुपए की दवाएँ ज़ब्त की गईं।
- उत्तराखंड पुलिस की अग्निशमन इकाई ने **कुल 1,381 दुर्घटनाओं को संबोधित** किया, जिसमें 318 मानव जीवन और 121 करोड़ रूपए की संपत्ति बचाई गई।
- पुलिस ने विभिन्न उल्लंघनों के लिये वाहनों पर **कुल 6.7 लाख चालानों में 37.06 करोड़ रूपए** जुर्माना वसूला गया।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/86-crimes-under-ipc-in-2023-solved